UPSR010006812023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1753

फौजदारी अपील संख्या–25/2023

1–राकेश पुत्र चिम्मन उम्र–36 वर्ष

2– चिम्मन पुत्र रतिराम उम्र–58 वर्ष

3– श्रीमती भिखमा पत्नी चिम्मन उम्र–57 वर्ष

निवासीगण–दक्खिनपुरवा, दा०–भगवानपुर बनकट, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती। --- ––अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

1– राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी।

2– श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राजेश पुत्री मोहकम निवासी रजपुतिया, दा०–हरदत्तनगर गिरण्ट, थाना–मल्हीपुर, वर्तमान थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती।

--------परिवादिनी/उत्तरदाता।

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी अपील विद्वान सिविल जज (अवर खण्ड) (एफ०टी०सी०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती द्वारा क्रिमिनल केस संख्या–300841/2009, राज्य बनाम राकेश आदि, अपराध संख्या सी–66/2008 धारा–498ए, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–3/4 डी०पी० एक्ट, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती की पत्रावली में पारित निर्णय व आदेश दिनांक–23–03–2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान सिविल जज (अवर खण्ड) (एफ०टी०सी०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती ने **अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा को धारा–498ए, 323 भा०दं०सं० व धारा–4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है** तथा धारा–504, 506 भा०दं०सं० व धारा–3 डी०पी० एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है।

2– अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का फैसला विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय ने परिवादी के साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन सही तरीके से न करके उन पर यकीन करके विधिक भूल की है।

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.07.28 16:51:10 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

अभियोजन गवाहान के बयान में काफी विरोधाभाष है। मेडिकल रिपोर्ट से भी घटना साबित नहीं है। अभियुक्तगण ने कभी दहेज की मांग नहीं की और न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया। पीडिता अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने मायके में रह रही है। अतः अपील स्वीकार करते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–23–03–2023 अपास्त करने की याचना की गयी है।

3– अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4– अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अभियुक्तगण की दोषसिद्धि पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है, मात्र अभियुक्तगण के दण्डादेश पर विशेष बल देते हुए दण्डादेश को संशोधित करने एवं धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि उभय पक्षों के मध्य सुलह समझौता हो गया है और उभय पक्षों की ओर से सुलहनामा अपील की पत्रावली में दाखिल भी किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध पारित दण्डादेश को संशोधित करते हुए अभियुक्तगण को धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने की याचना की गयी है।

5– राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के गवाहान ने घटना का समर्थन किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश में किसी प्रकार विधिक त्रुटि नहीं है। आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। अभियुक्तगण को धारा–498ए, 323 भा०दं०सं० व धारा–4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है, इसलिए उन्हें धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता। अतः अपील बलहीन है, निरस्त की जाये।

6– उभय पक्षों के तर्कों के अनुक्रम में आलोच्य आदेश दिनांकित–23–03–2023 का सम्यक अवलोकन किया तथा विचारण न्यायालय से आहूत मूल पत्रावली का भी सम्यक अवलोकन किया गया।

7– आलोच्य आदेश दिनांक–23–03–2023 के अवलोकन से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के समस्त साक्षियों के बयान व तथ्यों के अवमूल्यन के पश्चात विधिनुसार अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा को धारा–498ए, 323 भा०दं०सं० व धारा–4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा धारा–504, 506 भा०दं०सं० व धारा–3 डी०पी० एक्ट दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को विधि अनुसार दोषसिद्ध किया गया

है।

8– आलोच्य दण्डादेश दिनांक–23–03–2023 के अवलोकन से विदित है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा धारा–323 भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन माह के साधारण कारावास व 500/– रूपये अर्थदण्ड, धारा–498ए भा०दं०सं० के अन्तर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास व 1,000/– रूपये अर्थदण्ड तथा धारा–4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत छः माह के साधारण कारावास एवं 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छः माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

09– दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एक महिला के प्रति कारित अपराध है जो गम्भीर प्रकृति का है एवं विशेष अधिनियम में भी दण्डनीय है।

10– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यूट्रल साइटेशन नं० 2023:AHC–LKO:53368 दीनानाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में जो धारा–498ए,306 भा०दं०सं० व धारा–4 डी०पी० एक्ट से सम्बन्धित था, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देते हुये दो वर्ष की अवधि हेतु सदाचार बनाये रखने का निर्देश दिया गया।

11– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षो की ओर से ए–21 सुलहनामा एवं बी–22 मुकदमा अपराध संख्या–131/2022 सुनीता देवी बनाम राकेश की पत्रावली में न्यायालय प्रधान न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय), श्रावस्ती द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित दिनांक–21–05–2023 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के मध्य सुलह हो गयी है। यद्यपि सुलहनामा की प्रस्तुत अपील में कोई विशेष भूमिका नहीं है फिर भी वर्तमान में पक्षकारों के सुलह के पश्चात दोनों पक्षकार कोई विधिक कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत मामला वर्ष 2008 की घटना से सम्बन्धित है जिसमें अभियुक्तगण लगातार न्यायालय में विचारण का सामना कर रहे हैं। प्रश्नगत घटना अतरिक्त दहेज की मांग, दहेज के लिए प्रताडित करने, मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी देने से सम्बन्धित है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त राकेश कुमार वादिनी का पति तथा अभियुक्तगण चिम्मन व श्रीमती भिखमा वादिनी के सास–ससुर हैं। ऐसे मामले में अभियुक्तगण को कारावास की सजा दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है और संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है जिससे समाज में सद्भाव भी बना रहे और न्याय का उद्देश्य भी विफल न हो। अतः उपरोक्त निर्णय एवं मामले के तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित एवं

न्यायसंगत हैं।

<u>आदेश</u>

फौजदारी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा क्रिमिनल केस संख्या–300841/2009, राज्य बनाम राकेश आदि, अपराध संख्या सी–66/2008 धारा–498ए,323 भा०दं०सं० व धारा–4 डी०पी० एक्ट, थाना–इकौना, जनपद–श्रावस्ती के अन्तर्गत अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा के विरूद्ध पारित दोषसिद्धि दिनांकित–23–03–2023 पुष्ट की जाती है। अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा के बावत पारित दण्डादेश को अपास्त करते हुये निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण राकेश, चिम्मन व श्रीमती भिखमा को धारा–4 परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ देते हुये एक वर्ष तक सदाचार एवं परिशान्ति बनाये रखने हेतु जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रावस्ती के समक्ष बीस हजार रूपये के दो जमानत व व्यक्तिगत बंधपत्र व अण्डरटेंकिग दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त बंधपत्र 10 दिवस की अवधि के अन्दर प्रस्तुत किये जायेगें। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में अभियुक्तगण पुनः अभिरक्षा में लिये जाकर पूर्व दण्डादेश में वर्णित अवधि का दण्ड भुगतेंगा।

आदेश की प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी श्रावस्ती को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये।

तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वापस भेजी जाये।

दिनांक–28–07–2026 (सौरभ सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।

उपरोक्त निर्णय/आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–28–07–2026 (सौरभ सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट), श्रावस्ती।